न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

सपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र 09/2023

कानसिह पुत्र श्री जसवन्त सिह जाति राजपूत निवासी जालिया तृतीय (सूपा) पुलिस थाना केकडी सदर जिला अजमेर

................प्रार्थी

बनाम

थानाधिकारी पुलिस थाना भिनाय, अजमेर ....अप्रार्थी

उपस्थित :–

श्री चेतन धाबाई अभिभाषक प्रार्थी

प्रार्थना पत्र वास्ते वास्ते वाहन रिलीज करने बाबत

आदेश

दिनांक– 31.03.2023

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी/सुपुर्दगीदार का वाहन बोलेरो एक्स एल एकडीआई 2 डबलू डी जिसके रजिस्टेशन नम्बर आर.जे.48 यू ए 0173 को पुलिस थाना भिनाय द्वारा अन्तर्गत धारा 4,5,6,8 राजस्थान गौवंश पुशु (वध का प्रतिशेघ और अस्थायी प्रवर्जन पर निर्यात अधिनियम) में वास्ते वजह सबूत जब्त किया गया है। प्रार्थी सुपुर्दगीदार उपरोक्त वाहन महेन्द्रा बोलेरो एक्स एल एमडीआई 2 डबलू डी जिसके रजिस्टेशन नम्बर आर.जे.48 यू ए 0173 से सबंधित सम्पूर्ण अनुसंधान पूर्ण हो चूका है। उपरोक्त वाहन की पुलिस थाना भिनाय का कोई आवश्यकता नहीं है। वाहन पुलिस थाना भिनाय में खुले में पडा है जिससे वाहन खराब होने की संभावना है। उपरोक्त वाहन के अभाव में प्रार्थी/सुपुर्दगीदार को काफी कठिनाईयो का सामना करना पड रहा है। माननीय न्यायालय महोदय अन्तर्गत धारा 6 (ए) के तहत वाहन को सुपुर्द करने का क्षेत्राधिकार है। प्रकरण भिनाय थाना जिला अजमेर के अन्तर्गत दर्ज होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। प्रार्थी/सुपुर्दगीदार माननीय न्यायालय द्वारा आदेशित प्रत्येक शर्त की पालना करने तैयार एवं तत्पर है। अतः प्रार्थी को उक्त वाहन बोलेरो एक्स एल एमडीआई 2 डबलू डी जिसके रजिस्टेशन नम्बर आर.जे.48 यू ए 0173 सुपुर्दगीनामे पर दिये जाने का आदेश प्रदान करावे ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर थानाधिकारी पुलिस भिनाय, जिला अजमेर से प्रकरण बाबत टिप्पणी तलब की गई। सुनवाई चाहने उपस्थित को सुना गया।

अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी/सुपुर्दगीदार का वाहन बोलेरो एक्स एल एमडीआई 2 डबलू डी जिसके रजिस्टेशन नम्बर आर.जे.48 यू ए 0173 को पुलिस थाना भिनाय द्वारा अन्तर्गत धारा 4,5,6,8 राजस्थान गौवंश पशु (वध का प्रतिशेघ और अस्थायी प्रवर्जन पर निर्यात अधिनियम) में वास्ते वजह सबूत जब्त किया गया है। प्रार्थी सुपुर्दगीदार उपरोक्त वाहन महेन्द्रा बोलेरो एक्स एल एमडीआई 2 डबलू डी जिसके रजिस्टेशन नम्बर आर.जे.48 यू ए 0173 से सबंधित सम्पूर्ण अनुसंधान पूर्ण हो चूका है। उपरोक्त वाहन की पुलिस थाना भिनाय का कोई आवश्यकता नहीं है। वाहन पुलिस थाना भिनाय

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

में खुले में पडा है जिससे वाहन खराब होने की संभावना है। उपरोक्त वाहन के अभाव में प्रार्थी/सुपुर्दगीदार को काफी कठिनाईयो का सामना करना पड रहा है। माननीय न्यायालय महोदय अन्तर्गत धारा 6 (ए) के तहत वाहन को सुपुर्द करने का क्षेत्राधिकार है। प्रकरण भिनाय थाना जिला अजमेर के अन्तर्गत दर्ज होने क कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। प्रार्थी/सुपुर्दगीदार माननीय न्यायालय द्वारा आदेशित प्रत्येक शर्त की पालना करने तैयार एवं तत्पर है। अतः प्रार्थी को उक्त वाहन बोलेरो एक्स एल एमडीआई 2 डबलू डी जिसके रजिस्टेशन नम्बर आर.जे.48 यू ए 0173 सुपुर्दगीनामे पर दिये जाने का आदेश प्रदान करावे ।

हमने अप्रार्थी थानाधिकारी पुलिस थाना भिनाय जिला अजमेर से प्राप्त टिप्पणी का प्रार्थी के सुपुर्दगीनामा प्रार्थना पत्र एवं सुनवाई दौरान व्यक्त कथनो पर मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि पुलिस थाना भिनाय जिला अजमेर को प्राप्त सूचना पर दौराने जांच ट्रक नम्बर एस.आर. 47 सीडी 8217 खडा था ट्रक के केबिन में दो व्यक्ति बैठे थे पहले श्री सुरजमल उर्फ मल्लू राम पुत्र श्री बिहारी लाल निवासी सूपा सापंला पी.एस केकडी सदर व दूसरे अपना नाम श्री कानसिह पुत्र श्री जसवन्त सिह निवासी ग्राम जालिया तृतीय पुलिस थाना केकडी सदर जिला अजमेर का बताया गया । उक्त ट्रक जिसमें गायो के बछडे लाल, सफेद, काले रंग के मिल कुल 38 बछडे गाये के मिले जिनको चारा, पानी, हवा, रोशनी की व्यवस्था नही कर रखी थी व क्रुरता पूर्वक भरे हुए थे तथा ट्रक के पास साथी व्यक्ति की बोलेरो सफेद रंग की नम्बर आरजे 48 यूए 0173 भी खडी थी जिनसे उक्त गायो के बछडे अवैध रूप से ट्रक में भरने व ले जाने का परमीट परमीशन या लाईसेन्स पूछा तो नही होना बताया । जब्तशुदा बोलेरो आर.जे.48 यू ए 0173 से सम्बन्धित अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। तथा बोलेरो आर.जे.48 यूए 0173 से सम्बन्धित कोई अनुसंधान शेष नही है बोलेरो आर जे 48 यूए 0173 को नियमानुसार धारा 6 ए के असल स्वामी को सुपुर्द कर दी जावे तो कोई आपत्ति नही है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं विवेचनानुसार जिस स्थिति में उक्त गोवंश को पुलिस द्वारा जब्त किया गया है । जब्तशुदा गौवशं को, देखरेख/चारे पानी की सुचारू व्यवस्था हेतु गौशाला में सुपुर्दुगी पर छोडा गया है। पुलिस अनुसंधान में मुल्जिमान के विरूद्ध मुकदमा नं0 25/2022 धारा 4,5,6,8 राजस्थान गौवश प्शु वध प्रतिषेध व आयात निर्यात प्रयोजन 1995 में दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया । गोवंश अधिनियम 1995 राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 तथा धारा 11 डी पशु क्रुरता अधिनियम 1960 का अपराध प्रमाणित पाया गया है। राजस्थान गौवंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थाई प्रवजन या निर्यात का विनियमन) अधिनियम 1995 के अधिनियम संख्या 23 में धारा 6-क का अन्तःस्थापन किया गया है जिसमें इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया जावें तथा ऐसे अपराध करने के लिए उपयोग में लाये गये प्रवहण का कोई भी साधन अधिहरण के दायित्वाधीन होगा, प्रतिस्थापित किया गया है। उक्त अधिनियम के तहत अधिकारिता रखने वाला सक्षम प्राधिकारी को कब्जे राज लिये गये गौ वंश तथा ऐसे अपराध के लिए उपयोग में लिये जाने वाले वाहन के निस्तारण का अधिकार दिया गया है। प्रार्थी द्वारा इस वाहन को सुपुर्दगी नामें पर दिए जाने का निवेदन किया गया है। वाहन के अधिहरण के आदेश करने के पूर्व गौवंशीय पशु अधिनियम 1995 में दिये गये प्रावधानो के मद्देनजर जब्त शुदा वाहन के

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

अधिहरण के बदले में प्रवहण के ऐसे साधन के बाजार मूल्य से अनाधिक के जुर्माने का संदाय करने पर वाहन प्रार्थी को सौंपा जा सकता है। चूंकि उक्त वाहन बोलेरो आर.जे.48 यू ए 0173 का उपयोग, उपरोक्तानुसार गैर–कानूनी अवैध कृत्य हेतु किया जा रहा था। लिहाजा प्रकरण में जब्त वाहन बोलेरो आर.जे.48 यू ए 0173 को रूपये 25,000/–अक्षरे पच्चीस हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है। आरोपित शास्ति राशि प्रार्थी द्वारा जमा करवाने पर थानाधिकारी पुलिस थाना भिनाय जिला–अजमेर, राशि नियमानुसार राजकोष (सम्बन्धित मद) में जमा करवाकर वाहन बोलेरो आर.जे.48 यू ए 0173 की अन्य किसी प्रकरण में आवश्यकता न होने पर नियमानुसार बाद जांच सम्बन्धित वाहन मालिक को सुपुर्द करें। जमा चालान/रसीद, के पालना रिपोर्ट पेश हों।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 31.03.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर,
अजमेर।